पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपीलीय अधिकारी

APPELLATE AUTHORITY UNDER THE RTI ACT, 2005

केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गुड़गांव , हरियाणा- 122001

CORPORATE CENTRE, 'SAUDAMINI', PLOT No.2, SECTOR-29, GURGAON, HARYANA- 122001

Ref: C/CP/AA/RTI Act, 2005 **दिनांक: 20 जून , 2023**

अपीलार्थी / **Appellant**: श्री शैलेंद्र शर्मा, कीर्ति स्तंभ के पास, नगर निगम रोड, बीकानेर, राजस्थान-334001

लोक प्राधिकरण/ **Public Authority**: पावरग्रिड

प्रतिवादी/ **Respondent**: केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, केंद्रीय कार्यालय , पावरग्रिड, गुरुग्राम

ORDER

अपील का आधार/ Grounds of Appeal

अपीलीय प्राधिकारी को श्री शैलेन्द्र शर्मा (अपीलकर्ता) से दिनांक 25/05/2023 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से 22/05/2023 की आर.टी.आई. अपील प्राप्त हुई है। इससे पहले, यहां अपीलार्थी ने सी.पी.आई.ओ., केंद्रीय कार्यालय, गुरुग्राम को दिनांक 03/04/2023 को एक आर.टी.आई. आवेदन दायर किया था | तत्काल अपील इस आधार पर दायर की गई है कि सी.पी.आई.ओ. ने सूचना प्रदान नहीं की है।

The Appellate Authority has received an RTI Appeal dated 22/05/2023 through speed post on 25/05/2023 from Mr. Shailender Sharma (appellant). Earlier, the appellant herein had filed an RTI application dated 03/04/2023, with the CPIO, Corporate Centre, Gurgaon. The instant appeal has been preferred on the grounds that the CPIO has not provided the information.

आदेश /Order:

मैंने यहां अपीलार्थी दवारा दायर ऊपर उल्लिखित आर.टी.आई. आवेदन देखा है। मैंने सी.पी.आई.ओ. दवारा दिनांक 01/05/2023 को भेजे गए उत्तर एवं अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों का अवलोकन भी किया है| दिनांक 01/05/2023 को भेजे गए उत्तर में सी.पी.आई.ओ. ने सूचित किया था कि मांगी गई सूचना को प्रकट किए जाने की, सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(डी) के अंतर्गत, छूट है। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने तत्काल अपील दायर की है।

I have seen the above mentioned RTI application filed by the appellant herein. I have also perused the reply dated 01/05/2023 sent by the CPIO other relevant documents. Vide reply dated 01/05/2023, the CPIO had informed that the information sought is exempt under section 8(1)(d) of the Right to Information Act, 2005. Aggrieved by the same the appellant has preferred the instant appeal.

अपीलार्थी मूल रूप से उन मानदंडों से संबंधित जानकारी मांग रहा है जिनके आधार पर पावरग्रिड द्वारा कैटेगरी (01) में डिफिकल्ट लोकेशन का निर्धारण किया गया है । उल्लेखनीय है की कि धारा 2 (f) के संदर्भ में 'सूचना' का अर्थ किसी भी रूप में कोई भी सामग्री है, जिसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज़, मेमो, ईमेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्तियाँ, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, पत्र, नमूने, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई डेटा सामग्री और किसी भी निजी निकाय से संबंधित सूचनाएँ शामिल हो सकती हैं, जिनको वर्तमान में प्रभावी किसी अन्य कानून के तहत किसी सार्वजनिक प्राधिकरण दवारा प्राप्त किया जा सकता है। आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 6 के तहत एक आवेदक वही जानकारी प्राप्त कर सकता है जो पहले से मौजूद है और सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए सुलभ है। अधिनियम के तहत एक आवेदक किसी भी राय, सलाह, परिपत्र, आदेश आदि की प्रति प्राप्त करने का हकदार है, लेकिन वह इस बारे में कोई जानकारी नहीं मांग सकता है कि ऐसी राय, सलाह, परिपत्र, आदेश आदि क्यों पारित किए गए हैं, विशेष रूप से नीति से संबंधित मामले।

The appellant is basically seeking information related to norms basis which the difficult locations in category one (01) have been decided by POWERGRID. At the outset, it must be noted that in terms of section 2 (f) 'information' means any material in any form, including records, documents, memos, e-mails, opinions, advices, press releases, circulars, orders, logbooks, contracts, report, papers, samples, models, data material held in any electronic form and information relating to any private body which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force. Under Section 6 of the RTI Act an applicant can get any information which is already in existence and accessible to the public authority. An applicant under the Act is entitled to get copy of the opinions, advice, circulars, orders, etc., but he cannot ask for any information as to why such opinions, advice, circulars, orders, etc. have been passed, especially in matters pertaining to policy.

अपीलार्थी ने अपनी अपील में कहा है कि पारदर्शी और सुस्पष्ट नहीं नीति के कारण कई स्थानों को जिन्हें डिफिकल्ट लोकेशन की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए था, उस सूची में शामिल नहीं किया गया है। मेरी सुविचारित राय में यह और कुछ नहीं बल्कि अपीलकर्ता की व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित धारणा है और यह अधिनियम के तहत किसी भी सूचना की मांग का आधार नहीं हो सकता है। अपीलकर्ता का तर्क यह है कि मांगी गई जानकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रदान की गई छूट की श्रेणी में नहीं आती है। हालाँकि वह एक विशेष सूचना के आधार (कारण) मांग रहा है जो अधिनियम के दायरे से बाहर है।

The appellant in his appeal has mentioned that due to lack of transparent and clear policy many locations which should have been included in the category of difficult locations have not been included in that list. In my considered opinion this is nothing but a value-laden presumption on the part of the appellant and the same cannot be a basis for seeking any information under the Act. The contention of the appellant is that the information sought does not fall within the category of exemption provided

under section 8 of the Act. However he is seeking the basis (reason) for a particular information which is beyond the scope of the Act.

न्याय की लक्ष्य प्राप्ति हेतु, यदि अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 8 के तहत बनाए गए अपवादों के अधीन, डिफिकल्ट लोकेशन, संबंधित परिपत्रों और आदेशों (यदि कोई हो) जैसी जानकारी प्रदान की जाती है तो न्याय के उददेश्य पूरे होंगे। सी.पी.आई.ओ. को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश के चौदह दिनों के भीतर इसे उपलब्ध कराएं।

Ends of justice would be met if the information such as difficult locations, related circulars, and orders (if any) are provided to the appellant subject to exceptions carved out under section 8 of the Act. The CPIO is hereby directed to provide the same within fourteen days of this order.

तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

The appeal is accordingly disposed of.

(बी. अनंत शर्मा)

कार्यपालक निदेशक (सी.पी./सी.एस./एम.एम.) एवं अपीलीय प्राधिकारी

सेवा में : श्री शैलेंद्र शर्मा, कीर्ति स्तंभ के पास, नगर निगम रोड, बीकानेर, राजस्थान-334001
मो. 7568417291, ई-मेल: shailbikaner@gmail.com

प्रतिलिपि: मुख्य महा प्रबंधक (सी.पी.) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, केंद्रीय कार्यालय, पावरग्रिड, गुरुग्राम